

जिलाधिकारी कार्यालय, पटना।

(गोपनीय शाखा)

आ दे श

समाचार-पत्रों के माध्यम से आये दिन 'ऑपरेशन दलाल' से संबंधित समाचार प्रकाशित हो रहे हैं। सरकारी कार्यालयों को दलालों से मुक्त किये जाने की इस कार्रवाई में विभिन्न जिलों के कई कार्यालयों से कई दलाल पकड़े गए हैं। पटना जिला स्थित समाहरणालय सहित अन्य कार्यालयों से भी दलालों के पकड़े जाने की खबर प्रकाशित हुई है। सरकारी कार्यालयों में दलालों के सक्रिय रहने से आमजन को तो कठिनाई होती ही है। साथ ही संबंधित कार्यालयों के साथ-साथ सरकार की भी छवि धूमिल होती है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में पटना जिले स्थित सभी कार्यालय प्रधान के साथ-साथ समाहरणालय, पटना के सभी शाखाओं के प्रभारी पदाधिकारी को निम्न निदेश दिए जाते हैं :-

1. कार्यालय प्रधान/प्रभारी पदाधिकारी अपने-अपने कार्यालयों से निष्पादित होने वाले कार्यों के संबंध में इस तरह की प्रणाली विकसित करें कि आमजन के कार्य स्वतः ससमय निष्पादित हों ताकि उन्हें अनावश्यक उनके कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़े और कार्य निष्पादन हेतु दलालों का सहारा नहीं लेना पड़े।
2. किसी कार्यालय में पत्र प्राप्त होने से लेकर उसके निष्पादन तक की विहित प्रक्रिया (यथा- प्राप्ति पंजी में विधिवत अंकित किया जाना, लिपिक की कर्म पुस्तिका में अंकित होना, ससमय उपस्थापन, स्मार इत्यादि की विहित प्रक्रिया) का अक्षरशः अनुपालन के साथ-साथ लिपिकों के कर्म-पुस्त का पाक्षिक/मासिक रूप से प्रधान सहायक/पदाधिकारी द्वारा जाँच सुनिश्चित किया जाय।
3. कार्यालयों/शाखाओं से संबंधित ऐसी सूचनायें जिनकी महज जानकारी के लिए आमजन को कार्यालय आकर संबंधित लिपिकों/पदाधिकारियों से मिलकर जानकारी लेनी होती है, उसे कार्यालय/शाखा के सूचना पट्ट पर कार्यालय से बाहर प्रकाशित कराया जाय।
4. कार्यालय प्रधान/प्रभारी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि विभिन्न कार्यों हेतु उनके कार्यालय आने वाले आमजन सीधे पदाधिकारी से ही मिलें, कार्यालय के अन्दर जाकर संबंधित सहायक से जानकारी प्राप्त करने हेतु उन्हें नहीं भेजा जाय बल्कि इस प्रवृत्ति पर पूरी तरह रोक लगाया जाय।

5. कार्यालय प्रधान/प्रभारी पदाधिकारी स्वयं भी समय-समय पर अपने कार्यालयों की जाँचकर/यथा आवश्यक कार्रवाई करते हुए इसे सुनिश्चित करें कि उनके कार्यालयों द्वारा कार्य निष्पादन में दलाल सक्रिय नहीं हैं।
6. किसी कार्यालय के प्रधान/शाखा प्रभारी को उनके कार्यालय में दलालों के सक्रिय रहने के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है तो उस संबंध में गुप्त रूप से पुख्ता सूचना अधोहस्ताक्षरी को दी जाय ताकि उन्हें पकड़ा जा सके।

विभिन्न कार्यालयों/शाखाओं में छापामारी के दौरान यदि उनसे संबंधित दलाल पकड़े जाते हैं तो इसे गंभीरता से लेते हुए इन मामलों में कार्यालय के कर्मियों सहित पदाधिकारी की भी भूमिका की जाँच करते हुए उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जायेगा एवं तदनुसार कार्रवाई की जायेगी।

SD-
जिलाधिकारी, पटना।

ज्ञापांक १११ /गो०, पटना, दिनांक ३०/१/१५

प्रतिलिपि :- उप विकास आयुक्त, पटना/सभी अपर जिला दण्डाधिकारी, पटना/सिविल सर्जन, पटना/जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना/जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना/जिला कल्याण पदाधिकारी, पटना/जिला योजना पदाधिकारी, पटना/सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, पटना/उप निर्वाचन पदाधिकारी, पटना/जिला अवर निबंधक, पटना/सभी अवर निबंधक, पटना जिला/परियोजना निदेशक, आत्मा, पटना/सहायक आयुक्त उत्पाद, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना/जिला सहकारिता पदाधिकारी, पटना/जिला मत्स्य पदाधिकारी, पटना/जिला उद्यान पदाधिकारी, पटना/जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस०, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन, पटना/जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, पटना/सभी कोषागार पदाधिकारी/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पटना/अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, बेउर, पटना/कारा अधीक्षक, मंडल कारा, फुलवारीशरीफ/अधीक्षक, उप कारा, बाढ़/पटना सिटी/मसौड़ी/दानापुर/कार्यालय अधीक्षक, सामान्य, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई०टी० प्रबंधक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। जिले के बेवसाईट में प्रकाशित करें। साथ-साथ जिला के सभी पदाधिकारियों को ई०मेल से भेजें।

प्रतिलिपि :- समाहरणालय स्थित सभी शाखा के वरीय उप समाहर्ता, पटना/सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना जिला/सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना जिला/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पटना जिला/सभी अंचलाधिकारी, पटना जिला/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पटना जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

SD-
जिलाधिकारी, पटना।